

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-552/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री मोडेस पी0 हेम्ब्रम

- विक्रेता

बिरंग हंस

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
13.01.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्री मोडेस पी0 हेम्ब्रम पिता जीवत हेम्ब्रम ग्राम-अनिगडा, पो0-अनिगडा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी ने क्रेता बिरंग हंस पिता श्री गांजू पहान ग्राम-डडागमा, पो0-अनिगडा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="268 763 1401 853"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अनिगडा</td> <td>73</td> <td>26</td> <td>10</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0960597660 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 294 दिनांक 29.03.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं0 735/727 दिनांक 31.07.2008 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम बिजिरा मुण्डा वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार मोडेस पी0 हेम्ब्रम के नाम भूमि का रकबा 0.10 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि के अलावा मौजा अनिगडा खाता सं0 9 रकबा 2.62 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.72 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 27024.00 (सत्ताईस हजार हजार सात सौ बानबे)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.62 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री मोडेस पी0 हेम्ब्रम पिता जीवत हेम्ब्रम को बिरंग हंस पिता श्री गांजू पहान के साथ ग्राम अनिगडा खाता सं0 26 खेसरा संख्या 10 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 27024.00 (सत्ताईस हजार हजार सात सौ बानबे)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">3/13/01/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;">3/13/01/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)	अनिगडा	73	26	10	0.10	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)								
अनिगडा	73	26	10	0.10								